

मुख्य मॉन्ट्रिस्ट्र जनरल डाक
ऑफिस, के.ए. क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनामार्गत डाक व्यय को पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत

पत्रों, क्रमांक भोगल दिनांक
9. प्र. 108-भोगल 09 11.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 64]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 11 जनवरी 2010--पौष 21, शक 1931

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010


क्र. एफ. 6-1-2002-आर-एक.-मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) नियम 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करवाये हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 4-ख के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्,-

- 4-ख आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंध.-यदि आवेदक जिला हवेली, रूना, दतिया, बलिया, भेड, केवारी, गुना तथा असोकनगर में सहारिया आदिम जनजाति जिला मण्डला, डिण्डीरी, राहडोल, उमरिया, बलामाट तथा अनूपपुर में बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिन्दावाड़ा के तमिया विकासखण्ड में भारिया जनजाति का है, अथवा शक्ति शिक्षक या तुल्य/वतुर्ष श्रेणी के किसी भी पद के लिये आवेदन करता है, और विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा।

इस वेबसाइट पर www.mppsc.gov.in पर अधिकार प्रकाशित है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 299]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मई 2018—पृष्ठ 10, शक 1940

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

बोधक, दिनांक 31 मई 2018

क्र. एफ-6-1-2002-आप्र-एक.—मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1976 (क्रमांक 21 का, 1976) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, धर्मद्वारा, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) नियम, 1978 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 4-ख के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाय, अर्थात्—

“4-ख. अर्हता जनजातियों के लिये विशेष उपाय—यदि आवेदन जिला स्तर पर, मुंगेर, दतिया, ग्वालियर, भिखर, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहरिया/सहरिया अर्थात् जनजाति, जिला मारवाड़ा, डिण्डीरी, मड़होल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैरा आदि जनजाति तथा जिला किन्दावाड़ा तथा सिवनी की भारिया जनजाति का है, अर्थात् जिला किन्दावाड़ा या तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिये या वनरक्षक (कार्यपालक) के लिये आवेदन करा है और उस पद के लिये विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अफए बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा”।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. के. कटिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मई 2018

क्र. एफ-6-1-2002-आप्र-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 6-1-2002-आप्र-एक, दिनांक 31 मई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से धर्मद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. के. कटिया, अपर सचिव.